छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक 23

दिनांक 13/10/2020

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय/भाड़ाक्रय आवासीय योजना के भवनों की बकाया राशि पर भारित पूंजीगत ब्याज/दाण्डिक ब्याज में छूट एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के मूल्यों में छूट देते हुए विक्रय कर मण्डल की अवरुद्ध निधि प्राप्त करने हेतु योजना तिथि में बढ़ोत्तरी कर दिनांक 31/03/2021 तक किये जाने बाबत्।

---***---

छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. एफ 3—07/2019/32 दिनांक 18/11/2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के प्रस्ताव पर निम्नानुसार अनुमति प्रदान की गई है :—

1. स्ववित्तीय योजनांतर्गत विलंबित अवधि की राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ाक्रय योजनांतर्गत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान किया जाये।
2. मण्डल द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत निर्मित अविक्रित आवासीय/व्यावसायिक संपदा के निर्माण दिनांक से वर्तमान रिक्त अवधि के आधार पर भवनों के मूल्यों में निम्नानुसार छूट/कमी की जाये :—

(i) निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक भवन जो 01 से 03 वर्ष तक अविक्रित है, के वर्तमान मूल्य में (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) 15 प्रतिशत की दर से।

(ii) निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक भवन जो 03 से अधिक वर्ष तक अविक्रित है, के वर्तमान मूल्य में (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) 20 प्रतिशत की दर से।

(iii) उपरोक्तानुसार 15 एवं 20 प्रतिशत की दर से छूट पश्चात् जिन आवासीय/व्यावसायिक भवन का मूल्य उनके प्रारंभिक मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) से कम हो रहा हो ऐसे भवनों का विक्रय मूल्य/आफसेट मूल्य उनके प्रारंभिक मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय को छोड़कर) के समतुल्य दर को निर्धारित किया जाए

मण्डल के आदेश क्रमांक 17 दिनांक 18/11/2019 के माध्यम से छूट योजना अवधि दिनांक 31/03/2020 तक घोषित किया गया था, जिसे मण्डल के आदेश कमांक 11 दिनांक 18/05/2020 एवं आदेश क्र. 12 दिनांक 18/05/2020 एवं आदेश क्रमांक 14 के माध्यम से दिनांक 30/09/2020 तक वृद्धि किया गया है।

क्रमशः—02

अविक्रित संपदा के निपटारे एवं अप्राप्त मण्डल निधि की वसूली की संभावना को देखते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त अनुमोदन उपरांत योजना की अवधि में पुनः दिनांक 31/03/2021 तक वृद्धि किया जाता है। छूट से संबंधित नियम/शर्ते यथावत् रहेंगे। यह आदेश स्ववित्तीय योजनांतर्गत निर्मित भवनों का मूल्य, एकमुश्त भुगतान करने के शर्त पर आबंटित भवनों के लिए भी दिनांक 18/11/2019 से लागू है।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र. 1818/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त,(जे./व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग–1,2,नवा रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र–01,02,03,04, राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र रायपुर दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
11. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर